न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—58/2023

प्रार्थीगण :—

1. कानाराम पुत्र मेरामाराम जाति चौधरी
2. धर्मोदेवी पत्नी बीजाराम जाति चौधरी
3. बस्ताराम पुत्र मेरामाराम जाति चौधरी
4. मेती देवी पत्नी मेरामाराम जाति चौधरी
5. हड़मानाराम पुत्र बीजाराम जाति चौधरी
   निवासी भलरो का बाडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थी :—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— 1. श्री गणपतसिंह
वकील प्रार्थीगण

—:: आदेश ::— दिनांक :—18.03.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भलरो का बाडा तहसील समदडी में प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी मेरामाराम को जरिये आवंटन खसरा संख्या 550/205 व 552/205 प्राप्त हुई जिस पर प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त व रहवासीय मकान बने हुये है तहसील समदडी को ऑनलाईन करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते समय मौके व कब्जे अनुसार तरमीम नहीं कर गलत तरमीम अंकित कर दी गई। अतः प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की खसरा संख्या 550/205 में की गई तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार समदडी द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस है कि प्रार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी को आवंटित खसरा संख्या 550/205 रकबा 0.0162 हैक्टेयर के नामान्तरकरण संख्या 526 स्वीकृत दिनांक 14.06.200[illegible] पु[illegible]र अंकित नक्शा अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा व मकानात बने हुये है किन्तु सेग्रीगेशन के दौरान खसरा संख्या 550/205 की तरमीम गलत कर दी गई जिसे मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.04.09 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि की लट्ठा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नक्शा में विद्यमान तरमीम एवं मौके पर कब्जा स्थिति में भिन्नता है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार रेकर्ड एवं नक्शा के आधार पर मौके पर कब्जा नहीं तथा लट्ठा ट्रेस के आधार पर की गई तरमीम गलत है जिसे प्रार्थीगण के कब्जा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भलरो का बाडा तहसील समदडी की खसरा संख्या 550/205 रकबा 0.0162 हैक्टयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार समदडी तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती सुनिश्चित करे । मौका रिपोर्ट के संलग्न तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'अ' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 18.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.04.09 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested

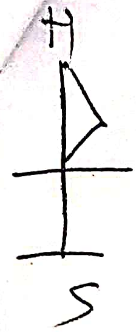

आंशिक नक्शा छितरवण
मौजा - छितरवा
तहसील - सिवाना
(बालोतरा)

परिशिष्ट "A"

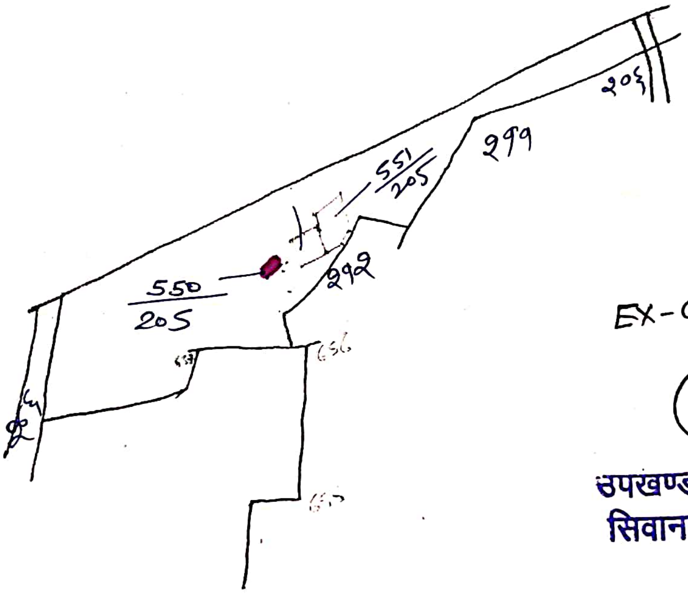

EX-court

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

मौका अनुसार कब्जा

संकेत चिन्ह :- ■ कानाराम पुत्र मेरामाराम वगैरह

25.08.23

2018/23
ILR - ऊनीर

कानाराम

वरदाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.04.09 18:51:23 IST
Reason: SelfAttested